

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

रुबना बनाम
इपलवट काधिकारी

26/24

बाबूलाल
बस्ती, जमशुदर
2024/555

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/04/25	<p>पत्रावली पेश। वकील प्राचीन इपलवट प्राचीन ने प्राचीन पत्र पेश कर बाबूलाल आरानी भूमि खतरा नम्बर 238 रकबा 0.835 ख.न. 239 रकबा 0.5184, ख.न. 240 रकबा 0.1265, ख.न. 241 रकबा 241 रकबा 3.4268 हूँ में खातेदार काशुकर घोषित करवाने हेतु मूलवाद के साथ पेश किया है और प्राचीन के जसिये कसबा निषेधाज्ञा ले पाकट किए जाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधारे परामर्श हम पाते हैं कि इन्त बाबूलाल भूमि के पूर्व खातेदार रामसुख पुत्र बिधा के बिक्रम नाथोलाइ फौत घेना बताया है। एवं पूर्व खातेदार रामसुख पुत्र बिधा के स्थान पर प्राचीन एवं के खातेदार काशुकर वासि एवं गोदनामें के आधार पर घोषित करवाना चाहिए है।</p>

फर्द अहकाम

बनाम

यालय
या

पुस्तक संख्या
पृष्ठ संख्या

51

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p> 1. किन्तु प्राचीन ने रेला में रजि. दस्तावेज पेश. था 1870 मादनामा पत्र नहीं किया है, जिससे वादग्रस्त भूमि में प्राचीन के एक व अधिकारी पूर्व खातेदार रामनारायण का बिरादा की हिल्ले की भूमि में निहित है। अतः प्राचीन का प्राचीन पर अस्थाई निषेधाज्ञा में बाध गया अनुभव दिया जाता - न्यायोचित नहीं पाते हैं अतः प्राचीन पर अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के लल शुभारंभ बाद तकनीक दाखिल कर है। </p>	

उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर